

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

सं० :- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड).....802...../दिनांक-30.06.2015

--: संकल्प :-

विषय:- मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं समीक्षा हेतु गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन ।

राज्य के नागरिकों के चहुँमुखी विकास के साथ-साथ उन्हें गरिमापूर्ण जीवन शैली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानव विकास से संबंधित लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संकल्प संख्या-1456, दिनांक-29.09.2011, संकल्प संख्या-542, दिनांक-30.04.2013 एवं ज्ञापांक-932, दिनांक-17.07.14 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था ।

2. कार्यपालिका नियमावली के नियम 32 (क)(XXI) के आलोक में माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मानव विकास से संबंधित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का पुनर्गठन निम्न रूपेण किया जाता है :-

(क)	I.	मुख्यमंत्री	:-	अध्यक्ष
	II.	मंत्री, वित्त	:-	सदस्य
	III.	मंत्री, शिक्षा	:-	सदस्य
	IV.	मंत्री, स्वास्थ्य	:-	सदस्य
	V.	मंत्री, समाज कल्याण	:-	सदस्य
	VI.	मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण	:-	सदस्य
	VII.	मंत्री, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग	:-	सदस्य
	VIII.	मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण	:-	सदस्य
	IX.	मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	:-	सदस्य
	X.	मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा	:-	सदस्य
	XI.	मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी	:-	सदस्य
	XII.	मंत्री, योजना एवं विकास	:-	सदस्य
	XIII.	मंत्री, श्रम संसाधन	:-	सदस्य
	XIV.	मंत्री, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	:-	सदस्य
	XV.	मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी	:-	सदस्य
	XVI.	मंत्री, पंचायती राज	:-	सदस्य
	XVII.	मंत्री, नगर विकास एवं आवास	:-	सदस्य
	XVIII.	मंत्री, ग्रामीण विकास	:-	सदस्य

(ख) मुख्य सचिव, राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के सचिव होंगे ।

(ग) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का नोडल विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना होगा ।

(घ) राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति को सचिवालय सहायता, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी ।

(ङ) उपर्युक्त उप कंडिका 'क' से संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठकों में समिति के सहायतार्थ उपस्थित रहेंगे ।

(च) उपर्युक्त राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति मानव विकास के लक्ष्यों एवं संगत कार्यक्रमों की कार्ययोजना हेतु दिशा-निर्देश देगी तथा उसकी प्रगति की समीक्षा करेगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा) 15

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड) 802 /दिनांक-30.6.2015

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा) 15

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड) 802 /दिनांक-30.6.2015

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा) 15

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक- मं०मं०-01/मंत्रिपरिषद्-17/2011(खंड) 802 /दिनांक-30.6.2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, वित्त विभाग (ई०गजट शाखा), बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (सी०डी० एवं दो हार्ड कॉपी के साथ) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संकल्प की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(शिशिर सिन्हा) 15

सरकार के प्रधान सचिव